



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4580]

नई दिल्ली, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 4580]

NEW DELHI, TUESDAY, 20 NOVEMBER, 2018/KARTIKA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2018

का.आ. 5800(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1248(अ), तारीख 5 नवंबर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, 'परिवहनेत्तर यान' के अधीन द्वितीय स्तंभ में मद (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(xvii) चौपहिया साइकिल"।

[फा.सं. आरटी-11028/09/2013-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.1248 तारीख 5 नवंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 558(अ) तारीख 9 फरवरी, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2018

S.O. 5800(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (4) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number Notification S.O. 1248(E), dated the 5th November, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, in the TABLE, in the second column under 'Non-Transport Vehicle', after item (xvi), the following item shall be inserted, namely:—

(xvii) Quadricycle”.

[F. No. RT-11028/09/2013-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O 1248 dated 5th November, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 558 (E) dated 9th February, 2018.